भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2569
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: 'पीएम-आशा' का कार्यान्वयन
2569. श्री ई. तुकारामः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पात्र फसलों के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का लाभ मिलना सुनिश्चित करने हेतु देशभर में 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित योजना के अंतर्गत शामिल की गई फसलों, लाभान्वित किसानों, की कई खरीद और प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को योजना का लाभ उठाने में किसानों द्वारा कम जागरूकता, सीमित खरीद सुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार का खरीद को बढ़ाने, जागरूकता को सुदृढ़ करने, कार्यान्वयन में सुधार करने और बेल्लारी के किसानों सहित अधिक से अधिक किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर(

(क): प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के कार्यान्वयन की नियमित रूप से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा कराए गए अध्ययन के अंतर्गत, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया। इसी प्रकार, 2025-26 में, नीति आयोग के डीएमईओ द्वारा भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का मूल्यांकन किया गया। पीएसएस के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि इस योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद, बाजार में कीमतें कम होने की अवधि के दौरान किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराती है, उन्हें मजबूरी में की गई बिक्री से बचाती है और यह कृषि आय, उत्पादन और उत्पादकता के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। पीडीपीएस के मूल्यांकन में पाया गया कि यह योजना प्रभावी रूप से कीमतों को स्थिर करती है, किसानों की आय और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और तिलहन फसलों के लिए एक विश्वसनीय और विस्तार योग्य मूल्य समर्थन तंत्र है। एमआईएस के मूल्यांकन से यह पुष्टि होती है कि यह योजना किसानों को संकटग्रस्त बिक्री से बचाने और अस्थिर, नाशवान मूल्य -श्रृंखला में आय को स्थिर करने के अपने मूल उद्देश्य को पूर्ण कर रही है - विशेष रूप से फसलोपरांत नुकसान को कम करके, मोलभाव की क्षमता को बढ़ाकर और खेती की लागत की वसूली के माध्यम से।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई फसलों, लाभान्वित किसानों और की गई खरीद का विवरण, खरीदी गई मात्रा के एमएसपी मूल्य के साथ अनुबंध में दिया गया है।

(ग) एवं (घ): एमएसपी खरीद को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने के लिए, राज्य सरकारों ने केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के समन्वय से देश भर में, जिनमें कर्नाटक में बेल्लारी जिला शामिल है,

कई उपाय किए हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारें, किसानों के परामर्श से, पर्याप्त खरीद केंद्र खोलती हैं। खरीद कार्यक्रम, खरीद केंद्रों के स्थान और उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानकों के संबंध में किसानों की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र विज्ञापन, किसान सभाएं, शिविर/चौपाल और अन्य जनसंपर्क क्रियाकलापों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। किसान पंजीकरण, खरीद प्रचालन, गुणवत्ता आंकलन और एमएसपी भुगतान के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शामिल करते हुए, ई-समृद्धि और ई-समयुक्ति जैसे समर्पित पोर्टलों के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें, सीएनए के परामर्श से, भंडारण सुविधाओं, गनी बैग, परिवहन, वजन उपकरण और गुणवत्ता परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर सहित खरीद प्रचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करती हैं। खरीद अवधि आम तौर पर 90 दिनों तक होती है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। खरीद की पहुंच को और बढ़ाने के लिए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और सहकारी समितियों को खरीद प्रचालन से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, सीएनए को आवश्यकता पड़ने पर अपने खरीद केंद्रों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से तुअर, चना, मसूर और उड़द सहित अधिसूचित दलहन की सीधी खरीद करने की अनुमति दी गई है।

अनुबंध

कर्नाटक राज्य में वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी गई दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद का विवरण (दिनांक 09.07.2026 तक)।

वर्ष/मद	**खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)**	**एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में)**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
2022-23	**1,06,475.03**	**629.80**	**89,516**
ग्राम	79,536.65	424.33	66,043
मूंग	25,308.70	196.27	22,181
कुसुम के बीज	1,629.68	9.21	1,292
2023-24	**55,310.24**	**623.95**	**40,211**
कोपरा	50,184.08	589.66	35,235
कुसुम के बीज	376.92	2.19	280
सूरजमुखी के बीज	4,749.24	32.10	4,696
2024-25	**3,37,291.38**	**2,828.34**	**2,62,033**
कोपरा	68,108.11	817.30	58,502
मूंगफली	2,053.52	13.93	2,366
मूंग	26,728.35	232.06	37,648
सोया बीन	18,199.85	89.03	14,906
सूरजमुखी के बीज	5,898.00	42.94	5,584
तुअर	2,16,303.55	1,633.09	1,43,027
2025-26	**2,41,043.10**	**1,604.93**	**1,58,727**
ग्राम	97,180.25	570.93	57,193
मूंगफली	791.84	5.75	923
मूंग	4,303.55	37.73	6,383
कुसुम	299.40	1.96	180
कुसुम के बीज	2,577.68	17.85	1,821
सोया बीन	42,003.15	223.79	35,136
सूरजमुखी के बीज	8,400.30	64.86	6,441
तुअर	76,270.58	610.16	43,406
उरद	9216.35	71.89	7,244

बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत कर्नाटक को वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक दी गई स्वीकृतियों का विवरण

वर्ष	मद	स्वीकृत मात्रा (मीट्रिक टन में)	माध्यम	टिप्पणी
2024-25	अदरक	59,948	वास्तविक खरीद	बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) से अधिक मॉडल मूल्य के कारण इसे लागू नहीं किया गया।
2025-26	लाल मिर्च	73,732	भावांतर भुगतान	
	आम	2,50,000	भावांतर भुगतान	कार्यान्वित
2026-27	तोतापुरी आम	1,30,000	भावांतर भुगतान	कार्यान्वयन के अधीन

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक के बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) की खरीद:

वर्ष	मद	खरीद (एमटी में)	लाभान्वित किसान	एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में)
2023-24	सूरजमुखी	727.55	673	4.91
2024-25	तुअर	1769.05	981	13.35
2025-26	सूरजमुखी	7.15	6	0.5
	तुअर	2432.00	1,208	19.45
	ग्राम	477.50	296	2.80
